

विकलांग या दिव्यांग कल और आज

डॉ० ज्योति सिंह
सहायक आचार्या
वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत
सं० सूत्र - 7206536258
Email:- jyotisinghnik195@gmail.com



शोधांश -

संविधान सभा के प्रमुख कर्ता - धर्ता डॉ.बाबा साहब आम्बेडकर जी को उनके कृतित्व के कारण सर्वकाले स्मरण किया जाता रहेगा। उन्होंने संविधान में एक तरफ सामान्य नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों व अधिकारों की बातों को लिपिबद्ध किया है तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक व मानसिक स्तरीय अक्षम व्यक्तियों के जीवन निर्वहन के लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया है। यह अलग बात है कि इसकी व्यवस्था वेदों पुराणों में पहले से वर्णित है।

संविधान की इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तीन दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी सन् दो हजार पन्द्रह में विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द की घोषणा किए थे। इसके साथ ही अत्याधुनिक संसाधनों में उनके अनुकूल व्यवस्था स्थापित करने के लिए आदेशात्मक आग्रह किया गया।

इसी तथ्यों को केन्द्र में रखकर दिव्यांगजनों के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर विशेष चर्चा की जाएगी।

प्रस्तावना -

यद्यपि इस संदर्भ में दिव्यांग शब्द अत्यधिक प्राचीन नहीं है। विकलांग, अपंग, अपाहिज इत्यादि नकारात्मक शब्दों के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द प्रयुत करने की परम्परा प्रारम्भ की। उनका मानना था कि 'यदि भगवान किसी व्यक्ति विशेष से कोई एक अंग छीनता है तो दूसरी ओर उसे एक दिव्य-अंग दे भी देता है। अतः उसकी अलौकिक शक्ति को पहचान कर उसे संगठित करने की आवश्यकता है।'

प्रजातंत्र में विचारों की अधिकता और मत विभन्नता रहती है, इस कारण से प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए 'दिव्यांग' शब्द और अर्थ की कई व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा आलोचना भी किया गया।

यह शोधालेख उन होनहार दिव्यांग नागरिकों के प्रति समर्पित भाव व्यक्त करने के लिए लिखा

जा रहा है जो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सत्ता की भागीदारी और दिव्यांग जन -

सत्ता की भागीदारी में दिव्यांग जनों की महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश करने से पूर्व सत्ता शब्द की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः सत्ता शब्द का निम्नलिखित अर्थ होता है - किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था की हस्ती, अधिकार, प्रभुत्व, प्रतिष्ठा के बल

पर आज्ञा पालन करवाने की शक्ति और अधिकार, शासकीय अधिकार, सरकार, शासन इत्यादि। अब इतिहास व वर्तमान में घटित घटनाओं तथा ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा उक्त विषय की पड़ताल की जाएगी।

सर्वविदित है कि सत्ता का अर्थ सिर्फ राजनीतिक नहीं होता है। इस दृष्टि से अनेकों ऐतिहासिक पात्र हुए हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। उदाहरण - स्वरूप धूतराष्ट्र, पाण्डव, शकुनि, मंथरा, कुबरी या कुबज़ा, तैमूरलंग इत्यादि। परन्तु इनकी उपस्थिति नकारात्मक भूमिका में ही रही है। धूतराष्ट्र तथा गांधारी का अंध पुत्र मोह, गांधार नरेश तथा दुर्योधन का मामा शकुनि का व्यक्तिगत शत्रुता निभाने के लिए दुर्योधन को पथ छाप्ट करना, मंथरा की वाक्यपटुता, तैमूरलंग की अत्याधिक महत्वाकांक्षा अवश्य ही तत्कालीन राजनीतिक को प्रभावित किया है। किन्तु इसके साथ ही दूसरी ओर हम इस तथ्य को भी उल्लेखित करने पर बाध्य हो जाते हैं कि- "भारतीय स्मृति शास्त्र के विधानानुसार अंध, खंज, विकलांग, क्षयी या अन्य किसी प्रकार स्थायी व्याधि-युक्त व्यक्ति पैतृक धन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, उसे केवल अपने निर्वाह योग्य खर्च पाने का ही अधिकार है.....।" 1

अले ही यह नियम उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है।

किन्तु बहुत ऐसे भी ऐतिहासिक दिव्यांग जन हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को साहित्य तथा समाज में मील का पत्थर प्रमाणित किया है। उदाहरणार्थ जन्मांध सूरदास (जन्म से अंधे थे या बाद में हुए यह चर्चा का विषय है), जिन्होंने अपनी हृदय रूपी चक्षु से श्रीकृष्ण के मोहिनी सूरत को न केवल निहारा है, वरन् भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने की ओर अग्रसित भी हुए हैं। सूर सागर, सूर दोहावली, साहित्य लहरी इत्यादि रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिन्दी साहित्य को सजाया व संवारा है। इसके साथ ही भक्तिकाल से लेकर आधुनिक युग तक वात्सल्य तथा श्रृंगार रस के लिए पथ प्रदर्शक बने और ब्रज भाषा को शीर्ष पर पहुँचाने में अतुलनीय योगदान दिया है। सूरदास की तरह ही जगत गुरु श्रीराम भद्राचार्य का नाम लिया जा सकता है; जिन्होंने

श्री भार्गव राधवीयम (2002),

गीतरामायणम् (2011), श्रीसीता रामसुप्रभातम् (2009), भृंगदत्तम्

(2004), अरुन्धती (1994) इत्यादि रचनाओं के माध्यम से न केवल हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है, अपितु अपनी श्रेष्ठ संस्कृति को देश तथा विदेशों में प्रचारित तथा प्रसारित करने का कार्य किया है, साथ में उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सत्ताइस सितम्बर दो

हजार एक को विकलांग विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को सभी आधुनिक विषयों को अत्याधुनिक संसाधनों के साथ पढ़ाया जाता है। चित्रकुट में अतुलनीय येगदान देने के कारण उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैसे तो जगतगुरु श्रीराम भद्राचार्य के विषय में सभी जानते हैं। फिर भी पाठकों की सुगमता के लिए उनके जीवन के बाल्यकाल की प्रमुख बातों को चरितार्थ करना यथेष्ठ होगा। उनके बचपन का नाम गिरिधर मिश्र है। दो महीने की उम्र में नेत्र की ज्योति समाप्त हो गई। वे प्रजाचक्षु हो गए। वे न तो पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे और न ही ब्रेल लिपि का ही उन्होंने प्रयोग किया है, वे केवल सुनकर सीखते व समझते थे।

वर्तमान में उनको श्रीराम कथा वाचक के रूप में भी जाना जाता है और ऐतिहासिक ग्रंथकार के रूप में जग प्रसिद्ध हैं ही। उल्लेखित पुस्तकों को उन्होंने बोलकर लिपिकारों द्वारा लिखवाया है।

जगतगुरु श्रीराम भद्राचार्य की एक और उपलब्धि है, जिसकी चर्चा यहाँ होनी ही चाहिए। पच्चीस नवम्बर दो हजार पच्चीस को अवधि में श्रीराम मन्दिर पर ध्वजारोहण किया जाने वाला है उसका कुछ श्रेय कहीं न कहीं जगतगुरु श्रीराम भद्राचार्य का भी है। इनके साक्ष्य के आधार पर ही श्रीराम के अस्तित्व की पुष्टि हुई थी और बालक राम को न्यायालय में जीत मिली थी। परिणाम स्वरूप श्रीराम - जन्मस्थान के चबूतरा से राजीव नयन को भव्य मन्दिर प्राप्त हुआ।

अतः यह कहा जा सकता है कि दुनियाँ जिसको विकलांग समझकर दया का पात्र मानती रही है वही विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति ऐतिहासिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

इसी क्रम में ए . पी . जे . समूह के मालिक डॉ सत्यजीत पॉल को भी देखा जा सकता है। दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले को नष्ट नहीं होने दिया। उनके दिवंगत होने के बाद भी उनके द्वारा लगाए हुए संस्थानओं का फलना फूलना यह सिद्ध करता है सुदृढ़ संकल्प के आगे नश्वर शरीर पंगु बन जाता है। इसी प्रकार दृढ़ संकल्प से युक्त व्याकित्व की कमी न तो भारतवर्ष में है और न ही विश्व में। सर स्टीफन भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से सत्ता को सकरात्मक रूप से प्रभावित किया है।

इनके अतिरिक्त कई ऐसे भारतीय तथा विदेशी विद्वान हुए हैं, जिनकी चर्चा किये बगैर यह शोध- पत्र पूरा न हो सकेगा। और यदि विस्तार से इसकी व्याख्या की जाएगी तो समय सीमा का उलंघन होगा। अतः इन विद्वानों के नामों की सिर्फ चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। उदाहरण स्वरूप-- केरल की क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन, 70 के दशक के प्रसिद्ध गायक

जमांध रवीन्द्र जैन,अनुभवी वैडमिटन प्लेयर गिरीश शर्मा, एस एस म्यूजिक टी .वी . चैनल के सी .ई .ओ . तथा संगीतकार एच रामाकृष्ण, तमिलनाडु की अंडर 19 क्रिकेटर टीम की भूतपूर्व कप्तान प्रीथी श्रीनिवासन ,लेक्चरर तथा सामाजिक कार्य कर्ता तथा अमेरिकन सिविल लाइवटिज हेलेन किलर,अमेरिकन गणितज्ञ जॉन नास, कवि, पेटर चिर्सटी ब्राउन , दौड़ाक (रनर) मार्लो रनयान , व्यवसायी संस्थापक तथा सी . ई . ओ . ब्राउन कोमोरेसन राल्फ ब्राउन ,व्हील चेयर रेसर तान्नी ग्रे इत्यादि। ये ऐसे वैश्विक नाम हैं जिन्होंने वैश्विक सत्ता को सामाजिक ,आर्थिक ,राजनीतिक व

सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त करने

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसके साथ ही पैराओलपिंक 12 पदक जीताने वाले खिलाड़ियों में देवेन्द्र झाङ्गारिया, दीपा मलिक, सुयश जाधव, अंकुर धर्मा, नरेंद्र रणवीर, रामपाल चाहर, अमित कुमार सरोहा इत्यादि प्रमुख हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम व प्रयास से भारतवर्ष की शान में चार चॉड लगा दिये। शायद इसी क्षण के संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध ए . पी . जे . अब्दुल कलाम ने कहा था --" इंसानों को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनन्द उठाने के लिए ये जरूरी हैं....।"2

दिव्यांग जनों ने अपने राष्ट्र तथा समाज को इतना कुछ दिया है, अब चर्चा इस बात पर होनी आवश्यक हो जाती है कि उन्हें यह समाज और राष्ट्र क्या दिया है ? समाज तथा सरकार ने प्रत्यूतर में उन्हें कितना सकरात्मक ऊर्जा प्रदान किया गया है ? इन साहसी लोगों को आगे बढ़ाने में समाज और राष्ट्र का क्या योगदान है? अब तक का सफर उन्होंने तो अपने साहस के बल पर ही तय किया है। विश्व के विकसित राष्ट्रों में बहुत कुछ सुविधाएं अवश्य ही प्रदान की गई है, किन्तु भारतवर्ष जैसे विकासशील राष्ट्र या तीसरे तपके के राष्ट्र जहाँ दो जून की रोटी के लिए लाले पड़े हों तो इन साहसी वीरों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है क्या ?

यदि भारतवर्ष के संदर्भ में बात करनी है तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार इनके पक्ष में कोई नई नीतियां लाएँ हैं या नहीं? दिव्यांग जनों की महत्वपूर्ण सत्ताओं में भागीदारी तभी संभव हो सकेगी, अन्यथा ' दिव्यांग' शब्द की उपाधि धरी की धरी रह जाएगी। इस लेख की सार्थकता तभी हो सकती है ,जब कुछ कानुनी प्रावधानों रूपी सुविधाओं की भी चर्चा हो।

अतः कह सकते हैं कि मोदी सरकार के समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री थावर चन्द्रगहलोत ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग,गैर

अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्धखानाबदोश जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों, निःसहाय व्यक्तियों और सफाई कर्मचारियों आदि के कल्याण के लिए अनेक पहलों की शुरुआत किये हैं। इस अभियान की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस (3-12-2015) के उपलक्ष्य हुई। आरम्भ में पचहत्तर चयनित शहरों में इसकी व्यवस्था करने की योजना बनाई गई थी। बाद में जिसे बढ़ाए जाने की व्यवस्था भी की गई। बहरहाल इन पहलों में लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता, भिखारियों का पुनर्वास और परिणाम जन्यकौशल- विकास कार्यक्रम सम्मिलित है।

इस वर्ष के तदन्तर प्रारम्भ किए गए कुछ कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए गए हैं—

1. सुगम्य भारत अभियान ---

इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांग जनों को उनके अनुकूल सार्वजनिक परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उदार और अवरोध मुक्त महौल का सृजन करना है। इसके अंतर्गत सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक दस्तावेजों और बेक्वासाइटों के अनुपात में बढ़ोत्तरी करना है।

2. दिव्यांग रोजगार मेला ---

इस रोजगार मेला में 412 दिव्यांग व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाए तथा 89 जनों को प्राइवेट कम्पनियों ने रोजगार के लिए चुना।

3. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ---

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की ओर से फिल्मोत्सव का आयोजन 1 दिसम्बर से 3 दिसम्बर सन् 2015 तक आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की भावनाओं तक पहुँचना था। इस महोत्सव की विशेषता यह थी कि दिव्यांग जनों द्वारा तथा उन्हीं की कथा- वस्तु पर आधारित सिनेमा को दिखाया गया। अभी हाल फिलहाल में ऋतिक रोशन तथा यामी गौतम द्वारा अभिनित चलचित्र 'काबिल' इसी तथ्य को प्रोत्साहित करने के लिए बालीवुड में लाई गई थी। इस चलचित्र से न केवल दिव्यांग जनों को प्रेरणा मिलती है, अपितु उनके प्रति दुःखवाहर करने वाले लोगों को भी एक सीख मिलती है। दूसरा चलचित्र श्रीकांत है जिसमें राजकुमार राव ने श्रीकांत के जीवन को जिया है और दिव्यांग विद्यार्थीगण के लिए साइंस और आर्ट्स के बीच हो रहे संघर्षों को दर्शाया गया है।

4. दिव्यांग परिचय सम्मेलन ---

इसी क्रम में 23, नवम्बर 2016 को इन्दौर में दिव्यांग परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें अनेकों जोड़ों को विवाह सूत्र में बाँधा गया। ऐसे ही अनेकों कार्यक्रम हैं, जिसे वर्तमान

सरकार आयोजित करती है तथा अपने समाज को उनके प्रति दृष्टि बदलने के लिए बाध्य करती है।

मोटी जी के द्वारा दिव्यांग शब्द के प्रयोग करने से सभी दिव्यांग व्यक्ति कम से कम समाज के मुख्य धारा से जुड़ने की चेष्टा अवश्य ही कर रहे हैं। यह बहुत सकरात्मक कदम है।

निष्कर्षतः

कहा जा सकता है कि दिव्यांग जनों को सहानुभूति नहीं उनको उनका अधिकार चाहिए। वे समाज के प्रति अपने दायित्व को भली - भाँति निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे और जिसे हमारे साहित्यकारों ने युगों-युगों से पहचाना है। आधुनिक युग के हिन्दी साहित्य में इनको स्थान भी मिला है। उदाहरण स्वरूप-- मैथिलीशरण गुप्त का 'साकेत,' धर्मवीर भारती का 'अंधा युग' ,दिनकर जी का' समर शेष हैं ' इत्यादि।

अन्ततः कहा जा सकता है कि दिव्यांग जनों की सत्ता विर्मश और साहित्य में भागीदारी बहुत है। साहित्य से लेकर विज्ञान तक उद्योग जगत से लेकर खेल - कूद तक सभी क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः कहा जा सकता है कि विकलांग से दिव्यांग की कल और आज की यात्राओं की लम्बी कहानी है जिसकी चर्चा एक छोटे से आलेख में करना असंभव है।

संदर्भ सूची

- 1 विवेकानन्द साहित्य सप्तम खंड, द्वितीय संस्करण- 1989 प्रकाशन - स्वामी अद्वैत आश्रम।
- 2 डॉ. अब्दुल कलाम (गूगल से)
- 3 जन सम्पर्क से साक्षात्कार